

वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित विधियाँ

Insitu Method

Exsitu Method

→ वन्य जीव प्रज्जाकरण

→ बाण्डीय उद्यान

→ जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र


→ जीव ब्रल के-ड

→ प्रजनन के-ड

→ वनस्पति उद्यान

→ चिड़िया घर (संरक्षण प्रकल्प)

जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र
वन्य जीव प्रज्जाकरण



→ संरक्षित वन → पर्यावरण के निचमों का पालन करते हुए वन संसाधन के उपयोग को मद्दव

→ आरक्षित वन → मानव जनित गतिविधियों पर प्रतिबंध

→ श्रुति उपयोग नीति का पालन करते हुए

↓
संपोषणीय विकास की अनुमति

→ वनों के साथ वन्य जीवों का संरक्षण Insitu और वर्तिस्थानिक विधि विधियों के द्वारा किया जाता है। Insitu विधि के अंतर्गत वनस्पति और जीव-जंतुओं को उनके ही निकेत में विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है जबकि Exsitu विधि के अंतर्गत प्राणियों को उनके आवास से अलग क्षेत्र में ले

जाकर संरक्षित किया जाता है। वन्य

→ वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव
मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में स्वस्थानिक और
बहिस्थानिक विन्धियों के द्वारा प्रजातियों का संरक्षण
किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सामान्य
किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण को प्राथमिकता
दी जाती है। वहीं राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक
वनस्पति के साथ सभी जीव-जंतुओं का संरक्षण
किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय
उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन
राष्ट्रीय उद्यान को कभी वन्य जीव अभ्यारण्य का
कार्य नहीं किया जाता है।

→ जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को CORE, BUFFER और
OUTER ZONE में सीमांकित कर वनों का
संरक्षण किया जाता है। CORE जैसे zone में
आरक्षित वन होते हैं जहां मानव से संबंधित
गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा होता है, यहां
तक की पर्यटकों को भी CORE जोन में जाने
की अनुमति नहीं होती है।

बफर जोन में संरक्षित वन होते हैं जहां
प्रकृति के नियंत्रणों का पालन करते हुए वन
संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग की अनुमति
होती है।

आउटर जोन में श्रमि उपयोग नीति का
पालन करते हुए पर्यावरण के संरक्षण के साथ
संश्लेषणीय विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

→ जीन पूल केन्द्र, प्रजनन केन्द्र, वनस्पति उद्यान
 और चिड़िया घरों में बहिस्स्थानिक विनिय के द्वारा
संवेदनशील और संकटाग्रस्त प्रजातियों को विशेष
संरक्षण प्रदान किया जाता है


Biotech → जीन पूल केन्द्र

Green White Red Blue Yellow

जीन पूल केन्द्र क्या है? जीन पूल के प्रकार स्थापित करने पर होनेवाले लाभ समस्याएं निवर्तक

आनुवंशिकी
 चुणों की इकाई
 के संग्रहण

जीन पूल के प्रकार



→ DNA की क्रियात्मक इकाई जीन के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होने के कारण ही इसे मानुवांशिकी गुणों की इकाई भी कहते हैं। इस प्रकार के जीन के संग्रहण का संबंध जीन पूल केन्द्र से है। जीन पूल केन्द्र को स्थापित कर जैव तकनीक की सहायता से जहां दोषमुक्त जीन को जीन पूल से बाहर किया जाता है वही दोषमुक्त जीन को शामिल कर मानुवांशिकी विविधता में वृद्धि की जाती है। यूसी किली की प्रजाति में मानुवांशिकी विविधता अत्यंत होने पर वातावरण के साथ अनुकूलन/समायोजन की क्षमता भी बढ़ जाती है इसलिए ही जीन पूल केन्द्र की सहायता से सेलेक्शन या सेक्रेगेशन और विलुप्त होने के ऊगार पर चली जाने वाली प्रजातियों की मानुवांशिकी क्षमता को बढ़ाकर उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है।

→ किली की जीव के पारंपरिक प्रजातियों का संकलन कर जहां हाइब्रिड प्रजातियों की मानुवांशिकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है वही पुनर्संयोजन, DNA तकनीक की सहायता से एक से अधिक जीवों के जीन का संकलन कर ट्रांसजेनिक प्रजाति के विकास के लिए नये जीन पूल को केन्द्र को भी स्थापित किया जा सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत दोषमुक्त जीन को विलगित (removed) कर दोषमुक्त जीन को आमिल किया जाता है जिससे मानुवांशिकी विकारों के दूर होने के साथ ट्रांसजेनिक प्रजाति की मानुवांशिकी क्षमता में वृद्धि हो सके लेकिन जहां जीन पूल केन्द्र को स्थापित कर

विभिन्न प्रकार के प्रजातियों की आनुवंशिकी विविधता को बढ़ाकर पर्यावरण के साथ जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है वही जब प्रकृति के निष्पत्तियों का उल्लंघन करते हुए आर्थिक लाभ के इर्ष्य से आनुवंशिकी संरचना में परिवर्तन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में न केवल परंपरिक प्रजातियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न होगी बल्कि आनुवंशिकी व क्षरण के कारण जैव विविधता का क्षय भी होगा।

इस प्रकार जीव प्रत केन्द्र को स्थापित कर किसी भी प्रजाति के आनुवंशिकी संरचना में परिवर्तन करते समय प्रकृति के निष्पत्तियों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण की पाठ दशाओं को ध्यान में रखकर प्रजातियों की आनुवंशिकी संरचना में परिवर्तन कर प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण उपयोग किया जाना ही आवश्यक है।